वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 143/2025 **प्रेस-नोट, थाना बरदह जनपद आजमगढ़** **दिनांक-18.04.2025**

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.04.2025 थाना बरदह की पुलिस टीम द्वारा **दिनांक 16.04.25 को राजागंज बाजार के पास असली करेन्सी को फेक करेन्सी बताकर** रूपये को तिगुना करने के नाम पर **हुई टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के** कब्जे से टप्पेबाजी **के** 85000/- रुपयें व 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मोटर साइकिल **बरामद किया गया।**

थाना बरदह

दिनांक- 16.04.25 को राजागंज बाजार के पास असली करेन्सी को फेक करेन्सी बताकर रूपयें को तिगुना करने के नाम पर हुई टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से टप्पेबाजी के 85,000/- रुपयें व 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

➡ दिनांक 16.04.25 को **वादी मुकदमा क्षमानन्द यादव पुत्र श्री महेन्दर ग्राम फैजुल्लाहपुर थाना देवगांव जिला आजमगढ़** द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक *13-4-2025* को वादी मुकदमा अपने निजी काम से गोसाईगंज बाजार गया था वही पर हमसे दो लोग मिलें बात-बात में हमसें कहे कि हम लोग पैसा तिगुना करने का काम करते हैं। तब वादी विश्वास करके उन लोगो से कहा कि मेरा भी पैसा तिगुना कर दीजियें तब वह दोनो व्यक्ति पैसा मांगनें लगे क्योंकि उस वक्त मेंरे पास पैसा नही था। तब वह दोनो व्यक्ति कहें कि ठीक हैं। हम लोग दिनांक *16-4-2025* को राजागंज बाजार में आयेंगे तब तुम पैसे कि व्यवस्था कर लो कि इसी लालच में वादी *95,000/-* रूपया लेकर राजागंज बाजार पहुचां तब वह दोनो व्यक्ति हमसे वहाँ मिले और बात करते-करते वह दोनो व्यक्ति एक ब्लैक कलर अपाची बाइक से व वादी मुकदमा अपनी बाईक से राजागंज बाजार में पिछौरा गाँव की तरफ गये और रुक कर बातचीत करने लगे। तभी एक बाइक से *CD* डीलक्स से दो व्यक्ति और आये उसमें व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहना था और वादी के हाथ से प्लास्टिक का थैला जिसमें *95000/* रूपया रखा था छीनकर भाग गयें जो राजागंज की तरफ गये। वादी मुकदमा आठ-दस कदम उनके पीछे दौड़ा तब तक वह बहुत दुर चले गये जब वादी पीछे देखा तो वह दोनो व्यक्ति बाइक स्टार्ट करके पिछौरा की तरफ भाग गयें तब वादी मुकदमा तुरन्त डायल *112* पे फोन किया देखने से लग रहा हैं। वह चारो व्यक्तियों का कोई गिरोह हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 105/25 धारा 304, 3(5), 317(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक- 17.04.2025 को शाम में उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त

1. **शंकर उर्फ उमाशंकर पुत्र स्व0 टिल्लू ग्राम कंजहित थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़**
2. **अरविन्द गौतम पुत्र लालजीत गौतम ग्राम कमरावा थाना गम्भीरपुर , आजमगढ**
3. **राम हरख पुत्र बिरजू ग्राम कंजहित थाना देवगांव , जनपद आजमगढ**
4. **प्रदीप पुत्र काली चरण ग्राम अरारा थाना गम्भीरपुर , आजमगढ**
5. **रामाशीष पुत्र बिहारी ग्राम ग्राम कोसइला थाना केराकत , जनपद जौनपुर,**
6. **(आरक्षी) अर्जुन पुत्र प्रेमचन्द ग्राम बागपुर थाना बरदह ,आजमगढ को** त्रिवेणी मोड़ से गिरफ्तार **किया** गया।

अपराध का तरीका/ पूछताछ का विवरणः-

➡ पूछताछ करने पर **अभियुक्त अरविन्द गौतम उपरोक्त** बताया कि हमारे **रिश्तेदार अर्जुन** पुत्र प्रेमचन्द ग्राम बागपुर थाना बरदह, आजमगढ जो थाना राजातलाब , **जनपद वाराणसी मे आरक्षी** है, **राम हरख** पुत्र बिरजू ग्राम कंजहित थाना देवगांव, जनपद आजमगढ, **शंकर उर्फ उमाशंकर** पुत्र स्व0 टिल्लू ग्राम कंजहित थाना देवगांव, जनपद आजमगढ तथा रामाशीष पुत्र बिहारी ग्राम कोसइला थाना केराकत, जनपद जौनपुर व **प्रदीप** पुत्र काली चरन ग्राम अरारा थाना गम्भीरपुर, आजमगढ हम सभी मिलकर ऐसे व्यक्तियो को रुपया को तिगुना करने के नाम पर बातचीत करके लालच देकर फंसाते है। लोग अपने रुपयें को तिगुना होने के लालच में हमको आसानी से मिल जाते है, जिसमें **राम हरख , शंकर उर्फ उमाशंकर द्वारा** ***लोगो (ग्राहकों) को असली नोट को फेक करेन्सी का विश्वास दिलाने के लिए बैद्यनाथ के कब्ज दूर करने वाले कैप्सूल को खोलकर उसके पाउडर को असली नोट पर लगा देते थे तथा असली नोट को हल्का पानी डालने पर गुलाबी रंग का हो जाता था, जिससे लोगो (ग्राहकों) को पूर्ण विश्वास हो जाता था कि यह नोट नकली है। ग्राहक इस नोट को बाजार में चलाते थे तो यह नोट बाजार में बिना किसी समस्या के चल जाता था, जिससे ये लोग (ग्राहक) अपने बड़े एमाउन्ट को तिगुना करने के लिए हम लोगो से कहते थे, तब ग्राहक को सुनसान स्थान पर बुलाकर प्रदीप, रामाशीष व हम भी मौके पर पहुंच जाते थे तथा सभी लोग मिलकर पैसे का लेनदेन करते थे, उसी समय आरक्षी अर्जुन पुत्र प्रेमचन्द वर्दी में मोटर साइकिल से मौके पर आ जाते थे तथा हम लोग डांटने का बहाना करते थे कि हम उनका पैसा लिए है तथा दबाव बनाकर बुलाये गये ग्राहक से रुपये लेकर चले जाते थें। मौके पर ग्राहक डर*** **की वजह से कहीं वो फंस न जायें, यह फेक करेन्सी है, इस बात को कही नहीं बताते थें**, बाद में हम सभी लोग आपस में मिले रुपयो को बांट लेते है। इस तरह एक राय होकर घटना को अंजाम देते है।

बरामदगीः-

1. टप्पेबाजी के 85000/- रुपया,
2. 03 अदद मोबाइल फोन,
3. 01 अदद मोटर साइकिल एचएफ डिलक्स नं0 UP50AU3369

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास-

1. शंकर उर्फ उमाशंकर पुत्र स्व0 टिल्लू ग्राम कंजहित थाना देवगांव, आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 156/11 धारा 379/304A IPC थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 99/18 धारा 379/304A/427 IPC थाना चोलापुर जनपद वाराणसी कमिश्नरेट
3. **मु0अ0सं0 105/25 धारा 304, 3(5), 317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़**

2. रामाशीष पुत्र बिहारी ग्राम कोसइला थाना केराकत , जनपद जौनपुर

मु0अ0सं0 105/25 धारा 304, 3(5), 317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़

3. प्रदीप पुत्र काली चरन ग्राम अरारा थाना गम्भीरपुर , आजमगढ

1. मु0अ0सं0 14/2003 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. **मु0अ0सं0 105/25 धारा 304 बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़**

4. अरविन्द गौतम पुत्र लालजीत गौतम ग्राम कमरावा थाना गम्भीरपुर , आजमगढ

1. मु0अ0सं0 319/24 धारा 13 जुआ अधि0 थाना गम्भीरपुर जनपद वाराणसी
2. **मु0अ0सं0 105/25 धारा 304, 3(5), 317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़**

5. आरक्षी अर्जुन पुत्र प्रेमचन्द ग्राम बागपुर थाना बरदह ,आजमगढ

1. **मु0अ0सं0 105/25 धारा 304, 3(5), 317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़**

6. राम हरख पुत्र बिरजू ग्राम कंजहित थाना देवगांव , जनपद आजमगढ

1. **मु0अ0सं0 105/25 धारा 304, 3(5), 317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़**

अनावरण अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 105/25 धारा 304, 3(5), 317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 मनीष सिंह **थाना बरदह, आजमगढ़**
2. उ0नि0 पुनित श्रीवास्तव **थाना बरदह, आजमगढ़**
3. का0 ललित सरोज **थाना बरदह, आजमगढ़**
4. का0 विद्याकान्त का0 पंकज कुमार व का0 सुनील सरोज **थाना बरदह, आजमगढ़**